Regd. No. PB/CH-03

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt of Haryana

No. 13] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 29, 1994 (CHAITRA 8, 1916 SAKA)

CONTENTS

		Pages
PART I—Haryana Government Notifications and Orders	..	137—139
PART I-A—Notifications by Local Government Department	..	3-4
PART I-B—Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners	.	Nil
PART II—Statutory Notification of Election Commission of India—Other Notifications and Republication from the *Gazette of India*	..	Nil
PART III—Notification by Auction Notice ; Director of Industries ; Advertisement and Notices etc.	.	85—118
PART III-A—Notification by Universities	..	Nil
PART III B—Courts Notices	..	Nil
PART IV—Acts, Bills and Ordinances from the *Gazette of India*	..	Nil
PART V—Notifications by Haryana State Legislature	..	Nil
SUPPLEMENT PART I—*Statistical*—Weather and Crop Reports for the week ending 31st January, 1994 and Rainfall for the month of December, 1993	..	125—138
SUPPLEMENT PART II—General Review	..	Nil
LEGISLATIVE SUPPLEMENT—Contents	..	xxxiv
Ditto PART I—Acts	..	Nil
Ditto PART II—Ordinances	..	Nil
Ditto PART III—Delegated Legislation	..	257—258
Ditto PART IV—Correction Slips, Republications and Replacement	..	Nil

PART I

Haryana Government Notifications and Orders

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 23 फरवरी, 1994

क्रमांक 176-ज-2-94/3474.—श्री बिशम्बर दयाल, पुत्र श्री सही राम, निवासी गांव बाल रोड़, तहसील दादरी, जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 745-ज-(2)-83/20838, दिनांक 24 जून, 1983 द्वारा 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री बिशम्बर दयाल की दिनांक 11 सितम्बर, 1992 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री विशम्बर दयाल की विधवा श्रीमती सरती देवी के नाम रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 4361-ज-2-93/3478.—श्री टेक चन्द, पुत्र श्री तोता राम, निवासी गांव सिहोर, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1822-ज-1-77/27386, दिनांक 2 नवम्बर, 1977 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री टेक चन्द की दिनांक 30 अगस्त, 1993 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री टेक चन्द की विधवा श्रीमती सुरती देवी के नाम रबी, 1994 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 28 फरवरी, 1994

क्रमांक 236-ज-2-94/3631.—श्री चुहड़ सिंह, पुत्र श्री चेत सिंह, निवासी गांव फतेहपुर, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला अब, यमुनानगर को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1276-ज-1-82/30102, दिनांक 30 अगस्त, 1982 द्वारा 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री चुहड़ सिंह की दिनांक 23 अक्तूबर, 1985 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री चुहड़ सिंह की विधवा श्रीमती संत कौर के नाम खरीफ 1986 से खरीफ 1992 तक 300 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 8 मार्च, 1994

क्रमांक 400-ज-2-94/4467.—श्री पंजान सिंह, उर्फ पंजाब सिंह, पुत्र श्री बागू सिंह, निवासी गांव मन्धार, तहसील जगाधरी जिला अम्बाला अब यमुनानगर को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4556-आर-III-68/2840, दिनांक 7 अक्तूबर, 1968 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और इसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री पंजान सिंह उर्फ पंजाब की दिनांक 7 नवम्बर, 1991 को हुई मृत्य के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री पंजान सिंह उर्फ पंजाब सिंह की विधवा श्रीमती धनकौर के नाम खरीफ, 1992 की राशि 300 रुपये वार्षिक की दर से तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

कली राम,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

LATE NOTIFICATION